

खान एवं खनजि संबंधी अध्यादेश

प्रीलिमिंस के लिये:

अध्यादेश संबंधी प्रावधान

मेन्स के लिये:

खान और खनजि (विकास और वनियम) अधिनियम 1957, कोयला खान (वर्षिक प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनजि कानून संशोधन संबंधी अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्यादेश खान और खनजि (विकास और वनियम) अधिनियम 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957], कोयला खान (वर्षिक प्रावधान) अधिनियम, 2015 [Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015] में संशोधन का प्रावधान करता है।
- इस संशोधन के माध्यम से कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार ने खनन नियमों में ढील दी है तथा कोयला खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष वदेशी निवेश के रास्ते खोल दिये हैं।

क्या है अध्यादेश का उद्देश्य?

- कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से एक ऊर्जा दक्ष बाजार बनाने में सहायता मिलेगी, इससे प्रतस्पर्द्धा में वृद्धि होगी और कोयले का आयात घटाने में मदद मिलेगी।
- कोल इंडिया को मजबूत करने के लिये वर्ष 2023-24 तक कोयले के घरेलू उत्पादन को एक मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
- इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद न्यूनतम मानदंड पूरा करने वाली अन्य खनन कंपनियों के पास भी कोयला खानों के लिये बोली लगाने का अधिकार होगा।
- यह अध्यादेश 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने जा रही खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगा।
- इस अध्यादेश के उद्देश्य के तहत पहली बोली जनवरी 2020 में ही लगाई जाएगी, इस दौरान कुल 40 कोयला ब्लॉक नीलामी के लिये उपलब्ध रहेंगे।
- भारत ने वर्ष 2018-19 में लगभग 1.71 करोड़ रुपए मूल्य के 235 मिलियन टन कोयले का आयात किया था।

वैश्विक कंपनियाँ शुरू कर पाएंगी कारोबार:

- कोयला खनन के क्षेत्र में वदेशी कंपनियों को शत प्रतिशत निवेश की छूट देने से भारत को अपने खनजि भंडार का न केवल दोहन करने में मदद मिलेगी बल्कि बहुत सी वैश्विक कंपनियाँ अपनी नई प्रौद्योगिकी के साथ भारत में अपना कारोबार स्थापित कर सकेंगी।
- इस अध्यादेश से वाणिज्यिक प्रयोग हेतु कोयला खानों की नीलामी के नियम आसान करने में मदद मिलेगी।

कोयले के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण:

- भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 में हुआ था।
- कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के कुछ समय बाद ही 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd.) की स्थापना एक होल्डिंग कंपनी के रूप में

हुई थी।

स्रोत- द दृष्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mines-and-minerals-related-ordinance>

